

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / अं.जि.स्था. / 02 / 08 / 1979  
/ आदेश /

भोपाल, दिनांक 16/07/2008

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1	श्री लेखराम दुबे, प्र0पाठक, शा.प्राथ.शाला पलारी(छिड़िया) वि.खं.सिवनी	सिवनी	नरसिंहपुर
2	श्री सूरजमल जैन, सहा.शिक्षक, शा.प्राथ. विद्यालय भण्डारिया	मंदसौर	इन्दौर
3	श्रीमती शशि प्रभा चौधरी, सहा.शि.शा.प्रा. शाला धोखेंडा	होशंगाबाद	बैतूल
4	श्रीमती मंजू साहू, सहा.शि.शा.जय प्रकाश प्राथ.शाला पिपरिया	होशंगाबाद	भोपाल
5	श्रीमती शैलबाला व्यास, सहा.शि.शा.प्रा.वि. नजरपुर तह.घटिटया	उज्जैन	देवास
6	श्री अन्नी लाल मरावी, सहा.शि.शा.प्राथ. शाला सकरवारा	कटनी	जबलपुर
7	श्रीमती सरोज तिकी, सहा.शि.शा.पूर्व मा. शाला हीरापुर कौड़िया	कटनी	जबलपुर
8	श्री भगवानलाल शर्मा, उ.श्रे.शि.शा.उत्कृष्ट विद्यालय सारंगपुर	राजगढ़	शाजापुर
9	श्रीमती मधु कुशवाह, उ.श्रे.शि.शा.उ.मा.वि. मिसरोद	भोपाल	ग्वालियर
10	श्रीमती विजया चाल्से, सहा.शि.शा.प्रा.बा. शाला कनेरादेव	सागर	जबलपुर
11	श्री मधुसुदन जोशी, सहा.शि.शा.प्रा.शा. ठक्कर बप्पा	खण्डवा	भोपाल
12	श्रीमती माला जोशी, सहा.शि.शा.स.बल्लभ भाई पुरुषार्थी बा.प्रा.शा.	खण्डवा	भोपाल
13	श्रीमती मीना मनन, सहा.शि.शा.प्रा.वि.शहरी क्षेत्र	नीमच	इन्दौर
14	श्रीमती बीना रानी रजक, सहा.शि.शा.प्रा. बा.शाला आधारताल	जबलपुर	इन्दौर
15	श्रीमती नंदा खण्डालकर, प्र.अ.शा.मा.वि. माधवगंज	ग्वालियर	गुना
16	श्रीमती पुष्पा मालवीय, सहा.शि.शा.प्रा.शा. पारडसिंगा	बैतूल	भोपाल
17	श्री रमन मालवीय, प्र.पा.शा.प्रा.शा. महिलावाड़ी	बैतूल	भोपाल
18	श्री चन्दर सिंह मण्डलोई, प्र.अ.शा.मा.वि.	मंदसौर	धार

स.क्र.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
	सेमलिया हीरा		
19	श्री शक्ति सिंह चौहान, सहा.शि.प्रा.शाला बेलहा	रीवा	हरदा
20	श्रीमती शैल श्रीवास्तव, सहा.शि.प्रा.शा. बिलौरी संकुल केन्द्र, खामखेड़ा	विदिशा	रायसेन
21	श्री आई.के.चतुर्वेदी, प्र.अ.पूर्व संस्था शा. उत्कृष्ट बा.उ.मा.वि.नरसिंहगढ़	राजगढ़	भोपाल
22	श्री अनिल कुमार जैन, सहा.शि.शा.प्राथ. शाला मोरखा, चौरई	छिन्दवाड़ा	सिवनी
23	श्री हरिशंकर वर्मा, सहा.शि.(विज्ञान)शा.उ. मा.वि.हरिदर्शन लश्कर	ग्वालियर	भोपाल
24	श्री रामप्रकाश कुशवाह, प्र.अ.शा.प्रा.वि. टेकपुर	ग्वालियर	भिण्ड
25	श्री बृजकिशोर निरंजन, सहा.शि.शा.प्राथ. वि.भरटा	दतिया	इन्दौर
26	श्री महेन्द्र पाल बैरइया, व्यायाम निर्देशक, शा.महा.लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि. मुरार	ग्वालियर	रायसेन
27	श्री प्रभुलाल वप्ता, सहा.शि.शा.प्राथ.वि. करणपुरा, मनासा	नीमच	मन्दसौर
28	श्रीमती रानी श्रीवास्तव, उ.श्री.शि.शा.बा. हाईस्कूल सुकरी मंगेला	जबलपुर	इंदौर
29	श्रीमती अनुसूइया नेकिये, सहा.शि.शा.प्रा. वि.क्रमांक 04, बड़वाह	खरगौन	इन्दौर
30	श्री तेरसिंह कुल्हारे, सहा.शि.शा.उ.मा.वि. कडोदकला	धार	खरगौन
31	श्रीमती अलका गोस्वामी, सहा.शि.शा.प्रा. शाला सनावदा	धार	खरगौन
32	श्री सुधीर पाटनकर, सहा.शि.शा.प्रा.वि. नाहरगढ़	अशोक नगर	गुना
33	श्रीमती शकुन्तला मौर्य, सहा.शि.शा.प्रा.वि. कमलागंज	शिवपुरी	ग्वालियर
34	श्री राजेश कुमार, प्र.अ.शा.मा.वि.पिपरसेवा	मुरैना	ग्वालियर
35	श्रीमती प्रभावती दुबे, प्र.अ.शा.क.मा.वि. फीगंज	भिण्ड	ग्वालियर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।

- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।



संचालक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02/08/1980

भोपाल, दिनांक 16/07/2008

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-सिवनी, नरसिंहपुर, मंदसौर, इन्दौर, होशंगाबाद, बैतूल, उज्जैन, देवास, कटनी, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, खण्डवा, नीमच, गुना, धार, रीवा, हरदा, विदिशा, रायसेन, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, दतिया, खरगौन, अशोक नगर, शिवपुरी एवं मुरैना म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-सिवनी, नरसिंहपुर, मंदसौर, इन्दौर, होशंगाबाद, बैतूल, उज्जैन, देवास, कटनी, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, खण्डवा, नीमच, गुना, धार, रीवा, हरदा, विदिशा, रायसेन, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, दतिया, खरगौन, अशोक नगर, शिवपुरी एवं मुरैना म.प्र.।
8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सिवनी, नरसिंहपुर, मंदसौर, इन्दौर, होशंगाबाद, बैतूल, उज्जैन, देवास, कटनी, जबलपुर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, खण्डवा, नीमच, गुना, धार, रीवा, हरदा, विदिशा, रायसेन, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, दतिया, खरगौन, अशोक नगर, शिवपुरी एवं मुरैना म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश